

उपक्र. 3784

[15/7/2024]

प्रश्न सं. [क. 3784]
मध्यप्रदेश शासन


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// संशोधित आदेश //

भोपाल, दिनांक 06/10/2023

क्रमांक/112/उ.स./22/2023/पंचा-1 - विभाग के आदेश क्र. 110/उ.स./22/2023/पंचा-1 दिनांक 06.10.2023 में संशोधन किया जाकर, मंत्रि-परिषद् के निर्णय आयटम क्र. 83 दिनांक 04.10.2023 के अनुसार ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को समयमान-वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जाता है। समयमान-वेतनमान से संबंधित दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत सचिवों को अधिवार्षिकी रूप से सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त राशि रु. 03.00 लाख का भुगतान किया जावेगा।

यह आदेश मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति दिनांक 04.10.2023 से प्रभावशील होगा।



(राकेश कुशारे)
उप सचिव 06/10/23
म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 1/10/2023

पृ0क्रमांक/113/उ.स./22/2023/पंचा-1/
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म0प्र0 भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
5. सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
7. संभागायुक्त समस्त संभाग म0प्र0।
8. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
9. कलेक्टर, जिला समस्त म0प्र0।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश


उप सचिव
म0प्र0 शासन 06/10/23
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 06/10/2023

क्रमांक/ 110/3.11/22/2023/पंचा-1/ मंत्रि-परिषद् के निर्णय आयटम क्रमांक 83 दिनांक 04.08.2023 के अनुसार ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को समयमान-वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जाता है। समयमान-वेतनमान से संबंधित दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत सचिवों को अधिवार्षिकी रूप से सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त राशि रु. 03.00 लाख का भुगतान किया जावेगा।


यह आदेश मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति दिनांक 04.08.2023 से प्रभावशील होगा।


(राकेश कुशरे)
उप सचिव 06/10/23
म0प्र0 शासन


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 06/10/2023

पृ0क्रमांक/ 111/3.11/22/2023/पंचा-1/
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म0प्र0 भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
5. सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
7. संभागायुक्त समस्त संभाग म0प्र0।
8. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
9. कलेक्टर, जिला समस्त म0प्र0।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव 06/10/23
म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश